

आयोजना और कार्यान्वयन मुद्दे

5.1 पिछले पांच दशकों के दौरान राज्य स्तर पर आयोजना के अनुभव से संभवतः यह पता चलता है कि यदि हमें प्रगति के मध्य आने वाली बाधाओं को दूर करना है तो हमें वृद्धि दरों को तेज करना होगा और यह भी सुनिश्चित करना होगा कि विकास के लाभों का हिस्सा सभी को प्राप्त हो और साथ ही गुणवत्तात्मक पहलुओं पर भी कम से कम उतना ध्यान देने की जरूरत है जितना कि आयोजना के मात्रात्मक पहलुओं पर दिया जाता है। दसवीं योजना के लिए दृष्टिकोण पत्र में संकेत दिया गया था कि इसके निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से योजना को एक सुधार योजना होना चाहिए और न कि एक संसाधन योजना जैसा कि पहले होता था।

5.2 शासन के मुद्दे पर इस प्रलेख के खंड-दो में कहीं अधिक व्यापक स्तर पर अलग से चर्चा की गई है। तथापि, मध्यावधि मूल्यांकन में अनेक शासन-संबद्ध निष्कर्षों का उल्लेख किया गया है जो राज्य स्तर पर भी प्रासंगिक हैं। इसलिए इस विश्लेषण को और आगे बढ़ाते हुए इस अध्याय के पहले खंड में राज्य स्तर पर शासन के परिप्रेक्ष्य पर विचार किया गया है तथा दसवीं योजना के लिए इस विनय में सुधारों की एक कार्यसूची का प्रस्ताव किया गया है।

5.3 अध्याय के दूसरे भाग में उन अधिक तकनीकी मुद्दों और चिन्ताओं पर ध्यान दिया गया है जो योजना कार्यान्वयन की प्रक्रिया के दौरान पिछले वर्षों में उभरकर सामने आए हैं। यद्यपि ये अपने आप में छोटे हो सकते हैं किन्तु इनमें से अनेक मुद्दे राज्य स्तर पर ही योजना की प्रक्रिया को विकृत और न्यून बना रहे हैं और इसलिए दसवीं योजना के दौरान इनका पता लगाकर इनका समाधान किया जाना चाहिए।

राज्य स्तरीय शासन परिप्रेक्ष्य

पृष्ठभूमि : मध्यावधि मूल्यांकन

5.4 भारत में नियोजित विकास की शुरुआत से ही केंद्रीय और राज्य दोनों सरकारें गरीबी के उन्मूलन के लिए अनेक

कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही हैं। तथापि आजादी के बाद से विकास आयोजना का अनुभव रहा है कि गरीबी को दूर करने के लिए निधियों की उपलब्धता ही पर्याप्त नहीं है। उदासीकरण के फलस्वरूप, राज्य स्तर पर चालू प्रातिमान में बदलाव आया है जबकि सरकार अधिकाधिक रूप से सीधे ही प्रदानकर्ता की बजाए एक सुविधाकर्ता की भूमिका निभा रही है। इसके साथ ही अधिक प्रभावी सरकारी हस्तक्षेप के माध्यम से ही गरीबी उन्मूलन की चुनौतियों का सामना किया जा सकता है। इस प्रक्रिया का यह अनुभव रहा है कि जमीनी स्तर पर प्रभावी परिणाम प्राप्त करने के लिए निर्धनोमुखी नीति रूपरेखा के अंदर बेहतर शासन और कार्यक्रमों का कार्यान्वयन जरूरी है।

5.5 नौवीं योजना के मध्यावधि मूल्यांकन (एमटीए) में गरीब-रोधी कानूनों और नीतियों के बहुत से उदाहरणों की चर्चा की गई है, विशेष रूप से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, वानिकी और विकेंद्रीकरण संबंधी अध्यायों में। उनमें चर्चित उदाहरणों से पता चलता है कि बड़ी संख्या में नीतियां और नियम गरीबों के हितों के विरुद्ध कार्य करते हैं। निर्धनोन्मुखी नीतियां प्रतिपादित करने की जरूरत है। एमटीए में वर्णित नीतियों की समीक्षा करके और जनमत को सुग्राही बनाकर शुरुआत की जा सकती है जिससे कि दसवीं योजना के पहले दो वर्षों के अंदर उन्हें उपयुक्त रूप से संशोधित किया जा सके।

5.6 अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में अच्छे शासन की व्याख्या प्रायः विशुद्धतः व्यापारिक दृष्टि से की जाती है जिसका अर्थ ऐसी नीतियों से है जिनसे विदेशी पूंजी आकर्षित होगी, जैसे कि प्रभावी कानून, करारों का प्रवर्तन, सम्पदा अधिकारों का संरक्षण और राष्ट्रीय सरकारों द्वारा निर्णय लेने के बारे में अनिश्चितताओं में कटौती। अल्प विकसित देश में विकास के संदर्भ में अच्छे शासन की परिभाषा सरकार की संसाधनों को कुशलतापूर्वक प्रबंध करने और ऐसी स्कीमों और नीतियां तैयार, कार्यान्वित और प्रवर्तित करने की क्षमता के रूप में की जा सकती है जो गरीबों के हित में हो और जिनसे विकास सुकर बनता हो।

5.7 किन्तु अच्छा शासन स्वतः ही नहीं आता। एक गरीब समाज में विकास की अभावग्रस्त स्थिति में संसाधनों के विभाजन के संबंध में कार्यपालिका को (राजनीतिक और अफसरशाही दोनों को) बहुत अधिक एकाधिकारवादी और विवेकपूर्ण शक्तियां प्राप्त हो सकती हैं। इसका परिणाम “अपना हिस्सा चाहने वाला” रेंट सीकिंग आचरण हो सकता है। इस रेंट सीकिंग से बचने के लिए अधिक नियम और विनियम निर्धारित किए जा सकते हैं, जिनसे और अधिक देरियां, अदक्षताएं और भ्र-टाचार पैदा हो सकता है। इस प्रकार एक कुचक्र स्थापित हो सकता है जिसमें नियमों का पालन न हो, जिसके लिए और नियम बनाए जा सकते हैं तथा अन्त में ऐसी स्थिति आ सकती है कि शासन में व्यक्ति, चाहे वे विधायी हो या कार्यपालक, उत्तम इरादा होते हुए भी अपने आपको “पद्धति” को बदलने में असमर्थ पा सकता है और अन्ततः उस पद्धति का विरोध करने की बजाए उसमें शामिल हो जाना उसके लिए सुविधाजनक हो सकता है। किसी भी सरकार के लिए एक अन्य प्रवृत्ति एक ऐसी संस्कृति का विकास करना है जिसमें निर्णय निर्माण अथवा कारोबार के नियमों की सामान्य जनता अथवा प्रत्याशित लाभार्थियों द्वारा आसानी से संवीक्षा न की जा सके। न केवल निर्णयों की जांच करना कठिन हो सकता है बल्कि उन्हें चुनौती दी जा सकती है अथवा उन्हें उल्टा जा सकता है सिवाय उसी कार्यपालिका की दृढ़ता को अपील करके जिसने उसे सर्वप्रथम लिया था (इस प्रकार कार्यपालिका की शक्ति में विस्तार)।

5.8 स्वतंत्र अध्ययनों से पता चलता है कि भ्र-टाचार और असंतो-जनक शासन से विकास तथा निवेश कम होता है। दक्षिण एशिया मानव विकास रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि न्यून मानव विकास से असंतो-जनक शासन प्रथाओं के लिए बने रहना सहज होता है जिसके फलस्वरूप कुचक्र उत्पन्न होता है। इस प्रकार अच्छा शासन और त्वरित मानव विकास अविच्छिन्न रूप से जुड़े हैं और वस्तुतः शासन वह रीढ़ की हड्डी होती है जिसके जरिए मानव विकास में लाभ शीघ्रता से प्राप्त किए जा सकते हैं।

कार्यक्रम लाभों का वितरण

5.9 विकास कार्यक्रमों के सफल कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त निधियों, उपयुक्त नीतिगत ढांचे और प्रभावी वितरण तंत्र की आवश्यकता होती है। विगत अनुभव से पता चला है कि निधियों की उपलब्धता निर्धनता और पिछड़ेपन की समस्याओं के समाधान के लिए एक आवश्यकता हो सकती

है किन्तु एक पर्याप्त शर्त नहीं है। निधियन सरकारों अथवा मंत्रालयों की व्यवहार्य स्कीमें और निधियों का इ-टतम उपयोग करने व संधारणीय विकास प्राप्त करने के लिए वितरण पद्धति तैयार करने की क्षमता निर्धारक कारक प्रतीत होता है।

5.10 अब पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हैं जिनसे प्रयोगात्मक साक्ष्य को समर्थन मिलता है कि यद्यपि भिन्नताएं हैं, फिर भी बुनियादी सार्वजनिक सेवाएं और कार्यक्रम (जो गरीबों और कमजोर वर्गों के लिए विनिश्चित हैं) गरीब व खराब नि-पादन करने वाले राज्यों में अपेक्षाकृत अदक्षतापूर्ण ढंग से कार्यान्वित होते हैं। इसका कारण एक ओर तो प्रेरणा, जवाबदेही की कमी, नि-पादन मूल्यांकन का अभाव, प्रोत्साहनों और दंड व्यवस्था की अनुपस्थिति, स्टाफ की न्यूनता और असंतो-जनक कामकाजी स्थितियां तथा दूसरी ओर बड़े पैमाने पर निःसरण है।

5.11 ऐसा विशेष-रूप से अनेक ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के संबंध में सही प्रतीत होता है जिनके अध्ययन से पता चला है कि उनमें 20 से लेकर 70 प्रतिशत तक “निःसरण” होने का अनुमान है। इन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का यह असंतो-जनक रिकार्ड और गरीबों को आशान्वित लाभ प्रदान करने में असफलता का उल्लेख विभिन्न रिपोर्टों और अध्ययनों में किया गया है, जिनमें नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की रिपोर्टें, अंतर्रा-द्रीय एजेंसियों व अन्य स्वतंत्र निकायों द्वारा किए गए सर्वेक्षण शामिल हैं।

5.12 राज्य सरकारों द्वारा विकास कार्यक्रमों का कार्यान्वयन और अधिक प्रभावी होना चाहिए। चुनिन्दा क्षेत्रों में, जैसे कि प्राथमिक स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, वाटरशेड विकास, स्थानीय स्तर पर स्थानीय लोगों की अपनी जिम्मेदारियों को प्रभावी ढंग से निपटाने की अधिकारिता से संबंधित स्कीमों के कार्यान्वयन का निकटतः मानीटरन किया जा सकता है जैसा कि निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों आदि के कार्यान्वयन के फलस्वरूप देखा गया है। चुनिन्दा सार्वजनिक संस्थाओं द्वारा योजना आयोग के परामर्श से तैयार की गई प्रश्नावलियों के आधार पर मानीटरन किया जा सकता है।

5.13 ऐसा, प्रतिदर्श की प्रक्रिया के माध्यम से किया जा सकता है, जिसके अन्तर्गत प्रभाव अध्ययनार्थ व इन क्षेत्रकों में प्रगति रिपोर्टें प्राप्त करने के लिए प्रत्येक राज्य में कुछ चुने हुए गांवों को यादृच्छिक ढंग से चुना जा सकता है। ये अध्ययन योजना आयोग द्वारा अनुमोदित या तो अकादमिक संस्थानों, परामर्शदाताओं अथवा आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन

संगठन द्वारा, जहां संभव हो, किए जा सकते हैं। कार्यान्वयन को सुधारने के लिए प्रोत्साहनों को राज्यों को अतिरिक्त निधियों के आवंटन हेतु मापदंडों में इस प्रकार शामिल किया जा सकता है कि जो राज्य प्रत्यक्ष रूप से बेहतर नि-पादन करें वे उन राज्यों की तुलना में जो इन कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित नहीं कर रहे हैं अधिक विकास सहायता के हकदार हों।

शासन सुधार हेतु उपाय

5.14 इस प्रकार शासन सुधार विकास योजना का एक केन्द्र बिन्दु होना चाहिए क्योंकि अच्छे शासन और कार्यक्रम कार्यान्वयन के बिना, विकास हेतु खर्च किए जा रहे संसाधनों का बड़ा भाग व्यर्थ जाता है। इसे इस प्रकार तैयार किया जाना चाहिए कि पारदर्शिता में सुधार हो, जवाबदेही अधिक हो और सरकार के ढांचे में चुस्ती आए।

5.15 सुधरी पारदर्शिता का परिणाम आम जनता को निर्णय निर्माण के तरीकों के बारे में सूचना के प्रवाह में सुधार के रूप में होना चाहिए और इस प्रकार यह कम निरकुंश होगा क्योंकि निर्णयों की जनता द्वारा बारीकी से संवीक्षा की जाती है। अधिक जवाबदेही का अर्थ है कि निर्णय निर्माण और कार्यान्वयन करने वाली कार्यपालिका कार्रवाई के उस मार्ग के लिए जवाबदेह है तो उसने अपनाया है। क्योंकि जवाबदेही, प्रत्येक स्थिति में, विद्यमान प्रक्रिया में अंतर्निहित है इसलिए सुधारों का लक्ष्य सुधरी जवाबदेही होना चाहिए जिसका अर्थ है कि गलत कार्यों से जुड़े विपरीत परिणामों को शीघ्रता से सुधारा जाए और उन्हें आसानी से नहीं दोहराया जाए। इसी प्रकार सरकार की संरचना और भूमिका में परिवर्तनों की जरूरत है जिसमें इसकी भूमिका और कार्यों की समीक्षा करना शामिल है, जिससे कि यह प्रमुख महत्व के वि-यों पर ध्यान केंद्रित कर सके और अपनी भूमिका को उन क्षेत्रों में कम कर सके जहां इसकी जरूरत नहीं है। संक्षेप में इसका अर्थ सरकार की संरचना को पुनः तैयार करना है जिससे कि विकृतियां कम हो सकें और यह अपने प्रमुख कार्यों में इ-टतम नि-पादन कर सके।

5.16 देश के अंदर और बाहर अनुभव से शासन सुधार के लिए किसी कार्यनीति के कतिपय अनिवार्य घटकों का पता चलता है। शासन में सुधार के उपायों में, जो विशेष रूप से राज्य स्तर पर प्रासंगिक हैं, विकेन्द्रीकरण, सिविल सेवा नवीकरण, मुक्त व प्रतिक्रियाशील सरकार भ्र-टाचार से

निपटने, कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने तथा राजको-नीय व पर्यावरणीय संघारणीयता के आधार पर बहुमुखी कार्यनीति शामिल है। कार्यनीति के इन प्रत्येक घटकों का उल्लेख नीचे किया गया है।

विकेन्द्रीकरण

5.17 शक्ति का विकेन्द्रीकरण केंद्र से राज्यों को, राज्यों से जिलों को, जिलों और गांवों के अंदर क्षेत्रों को शशासन की अत्यधिक केंद्रित पद्धति का जो कि लोगों से किंचित दूर हो गई है और उनके प्रति दूसरी सीधी जवाबदेही सीमित है, आमूल रूप से पुनर्गठन करने का एक सर्वोत्तम उपाय हो सकता है। विकेन्द्रीकरण से लोगों को अधिकारिता प्राप्त होती है, जनता की भागीदारी प्रोत्साहित होती है तथा कार्यकुशलता बढ़ती है।

5.18 संयुक्त रा-द्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) की मानव विकास रिपोर्ट 1993 के अनुसार, जहां कहीं भी विकेंद्रीकरण हुआ है, यह प्रायः काफी सफल रहा है। स्थानीय भागीदारी को प्रोत्साहन मिला है, स्थानीय अधिकारियों की जवाबदेही बढ़ी है, लागतों में कमी आई है और कार्यकुशलता में वृद्धि हुई है। विकेंद्रीकरण से स्थानीय संसाधन जुटाने, स्थानीय और क्षेत्रीय दृष्टि से विविध समाधानों के उन्नयन और निर्धनों को विकास की मुख्य धारा के साथ जोड़कर एकसमान विकास के प्रोत्साहन में मदद मिली है। इससे सरकारों पर उन मानव प्राथमिकतापूर्ण मुद्दों पर अपना ध्यान केंद्रित करने के लिए भी दबाव बढ़ा है जिन्हें स्थानीय समुदाय द्वारा चुने जाने की अधिक संभावना है।

5.19 विकेंद्रीकरण की वजह से नियोजित विकास की प्रक्रिया में सार्वजनिक भागीदारी वांछनीय और आवश्यक समझी गई। 1993 के 73वें और 74वें संविधान संशोधन के फलस्वरूप पंचायत राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों ने देश भर में अपनी जड़ें जमा ली हैं। तथापि, विभिन्न कारणवश अधिकांश राज्यों में प्रभावी विकेन्द्रीकरण नहीं हुआ है (देखें इस अध्याय का संलग्नक-5.1) तथा प्रक्रिया को मजबूत व तेज करने के लिए प्रयास किए जाने की जरूरत है।

5.20 73वें संशोधन में एक ऐसे तंत्र की परिकल्पना की गई है जिसके अन्तर्गत अधिकाधिक शक्तियां तृतीय स्तर के लिए विकेंद्रित हों किन्तु विडम्बना यह है कि अधिकांश राज्यों में प्रशासनिक तथा वित्तीय शक्तियां सचिवालयों

और निदेशालयों में अत्यधिक केंद्रित हैं। प्राधिकार के विकेंद्रीकरण की यह प्रक्रिया विशेष रूप से पिछले तीस व-र्षों से चल रही है। शक्ति के विकेन्द्रीकरण के फलस्वरूप राजनीतिक भ्र-टाचार को सुकर बनाने के अलावा निर्णय लेना एक लम्बी और जटिल प्रक्रिया के अधीन होता है जिससे जनता को असुविधा होती है।

5.21 कुल मिलाकर पंचायत की भूमिका अभी भी विकास असफरशाही की भूमिका से अत्यधिक प्रभावित है तथा विद्यमान पद्धतियों और प्रक्रियाओं में काफी विकृतियों और निःसरण की गुंजाइश है। वर्तमान पद्धति ऐसी है कि ईमानदार पंचायत राज संस्थान (पीआरआई) प्रतिनिधियों को भी अपना कामकाज करने में कठिनाई होती है।

5.22 इस संबध में, 73वें और 74वें संशोधन के फलस्वरूप अंतरण के अनुभव से बहुत से अनुभव सामने आए हैं। इनसे वांछित सुधारों की दिशा का पता चलता है। सरकार को, ग्यारहवीं और बारहवीं अनुसूची में विनिर्दि-ट शक्तियां और कार्य उपयुक्त स्तर पर स्थानीय निकायों को सौंपकर अंतरण की प्रक्रिया को बनाए रखने की जरूरत है तथा स्थानीय कर्मचारियों का प्रशासनिक नियंत्रण स्थानीय निकायों को सौंपा जाना चाहिए। हमें प्रशिक्षण तथा संसाधनों के अंतरण द्वारा - भौतिक व वित्तीय, स्थानीय निकायों, इसके सदस्यों और इसकी समितियों में तदनुरूपी क्षमता का निर्माण करना चाहिए, स्थानीय निकायों को विकास हेतु स्थानीय संसाधन जुटाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए तथा प्रोत्साहन आधारित वित्तीय अंतरण की पद्धति तैयार करनी चाहिए।

5.23 इसके साथ ही हमें विकासात्मक असफरशाही में अभिवृत्तिमूलक परिवर्तन पैदा करने चाहिए जो तृतीय स्तर के शासन का एक सुविधाकर्ता बने और सभी स्तरों पर चुने हुए प्रतिनिधियों और असफरशाही के बीच अच्छे संबध कायम करने में मदद करे। स्थानीय निकायों, उनकी स्थानीय समितियों और प्रतिनिधियों की जवाबदेही की परिभा-ना की जानी चाहिए और उसे सुदृढ़ बनाया जाना चाहिए। नव निर्वाचित सदस्यों के लिए एक आचरण संहिता विकसित करने में पंचायती राज संस्थाओं/शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) की मदद करनी होगी। नियम तथा प्रक्रियाएं सरल और पारदर्शी होनी चाहिए। वित्तीय प्रबंध तथा लेखा परीक्षक प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करना होगा जिससे कि जीवन के सभी क्षेत्रों से आने वाले चुने हुए कार्यकर्ताओं द्वारा नि-पादित किए जाने वाले कार्य सुकर हो सकें।

सिविल सेवा नवीकरण

5.24 सिविल सेवा सुधार के क्षेत्र में राज्य सरकारों को तीन महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। उन्हें सिविल सेवाओं की उत्पादकता बढ़ानी चाहिए तथा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रत्येक कर्मचारी सामाजिक रूप से संगत कार्य नि-पादित करे। उन्हें सिविल सेवाओं की दीर्घावधिक उपलब्धता सुनिश्चित करनी चाहिए तथा योग्यता के लिए पुरस्कृत और प्रोत्साहित करने और असंतो-जनक कार्य और दुराचरण पर अनुशासन कायम करने के लिए प्रक्रियाएं प्रवर्तित करनी चाहिए ताकि जवाबदेही मजबूत हो सके और नि-पादन कोटि में वृद्धि हो सके।

5.25 दुर्भाग्यवश, अंग्रेजों द्वारा उच्च शिक्षा लागू किए जाने के समय से ही भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग द्वारा सरकार को प्रथम नियोक्ता के रूप में समझा गया है। इस मनोवृत्ति को बदलना होगा। 1960 के दशक की शुरुआत से सरकारी रोजगार में तेजी से विस्तार हुआ है विशेष रूप से सहायक स्टाफ के मामले में। सरकार की बदलती भूमिका के साथ सिविल सेवाओं के आकार और पैमाने का संबध सरकार के उन कार्यों की प्रकृति के अनुरूप नहीं है जो उसे करने चाहिए या जो वह कर सकती है। सरकारों को अधिसे-न स्टाफ का पता लगाना चाहिए, पुनः तैनाती की प्रभावी योजना और सेवानिवृत्ति की एक उदार पद्धति कायम करनी चाहिए और सचिवालयीय तथा लिपिकीय सेवा के रिक्त पदों को नहीं भरा जाना चाहिए।

5.26 प्रशासनिक सुधार आयोग ने (प्र.सु.आ. रिपोर्ट 1970) उपयुक्त स्तरों पर सचिवालयीय विभागों को क्षेत्रीय विभागों के साथ मिलाकर और एकल फाइल पद्धति के माध्यम से निर्णय लेने के लिए सेवा में निर्धारित पद्धति अपनाकर, सचिवालय में लिपिकीय पद समाप्त करने की सिफारिश की थी। अब भी ऐसा किया जा सकता है क्योंकि इससे कर्मचारियों की संख्या में काफी कमी आएगी। आम छुट्टियों की संख्या कम करके, जैसा कि पांचवें वेतन आयोग ने सिफारिश की है, विद्यमान स्टाफ से बेहतर उत्पादकता की आशा की जा सकती है। केंद्रीय सरकार ने पहले ही नए कार्मिकों की भर्ती को प्रत्येक वर्-न रिक्त होने वाले पदों के केवल एक-तिहाई तक सीमित कर दिया है तथा कुछ राज्यों ने भी ऐसे ही कदम उठाए हैं। ये सही दिशा में कदम हैं।

मुक्त और प्रतिक्रियाशील सरकार

5.27 मुक्त सरकार शासन सुधार का एक प्रमुख घटक है। गोपनीयता का परिवेश, जिससे सरकारी कामकाज घिरा रहता है, कुप्रथाओं को प्रोत्साहित करता है। त्वरित जांच करने की कोई व्यवस्था नहीं है क्योंकि निर्णय बंद कमरों में लिए जाते हैं। जानकारी बांटने और पूरी पद्धति को और अधिक पारदर्शी बनाने से निश्चय ही कुछेक व्यक्तियों द्वारा अनेकों के नाम से हेराफेरी करने का पद्धति का खतरा कम होगा। पारदर्शिता से सुधार की बाह्य मांग सुदृढ़ होती है और प्रशासन अधिक प्रतिक्रियाशील और नि-पादनोन्मुखी बनता है। सुधार के संबंध में संकेत देने का एक साधन भारत सरकार की सांविधिक स्कीम की तरह “सूचना के अधिकार” के लिए विधान के अधिनियम को प्रोत्साहित करना है। यदि आम नागरिक के सूचना के अधिकार को मान्यता मिल जाती है तो इससे भ्र-टाचार और शासकीय शक्ति का मनमाने ढंग से इस्तेमाल को समझने तथा उसे चुनौती देने की शक्ति में नाटकीय ढंग से वृद्धि होगी। सभी स्तरों पर निर्णय निर्माताओं का यह कर्तव्य होना चाहिए कि वे सभी सरकारी प्रक्रियाओं और पद्धतियों में पारदर्शिता का निर्माण करके और स्वयमेव लोगों को सभी संगत सूचना उपलब्ध कराकर, राज्य के साथ नागरिक के संबंध की दृष्टि से उसके अधिकार को बढ़ाने का पहले प्रयास करें।

5.28 सरकार में खुलापन लाने के लिए बहुत से उपाय हैं। सरकार का घोषित इरादा पारदर्शिता के पक्ष में होना चाहिए। ऐसी सभी सूचना जो सामान्यतः विधानसभा/संसद के किसी सदस्य को उपलब्ध कराई जाती है, जनता के किसी भी सदस्य को भी उपलब्ध होनी चाहिए। पुलिस तथा राजस्व जैसे विभागों की, जो बड़े पैमाने पर आम जनता से संबंधित हैं, आवधिक अंतरालों पर सामाजिक जांच होनी चाहिए। जनता के प्रमुख व्यक्तियों द्वारा इन जांचों में नीतियों और नि-पादन की परख की जानी चाहिए तथा उनके सुधार के लिए रचनात्मक उपाय सुझाने चाहिए।

5.29 सरकार द्वारा आम जनता के प्रति अपनी प्रतिक्रियाशीलता को बढ़ाने के लिए ठोस प्रयास किए जाने की जरूरत है, जिनके लिए यह कार्य करती है। इस समय सरकार की पद्धति ऐसी है कि आम आदमी को उन स्कीमों और कार्यक्रमों के बारे में, जो उसे प्रभावित करते हैं, और अपने अधिकारों और अभिलेखों के बारे में भी, जानकारी प्राप्त करना कठिन है। जटिल प्रक्रियाएं सरकार को न केवल उन लोगों से ही दूर

रखती हैं जिन्हें सेवाएं प्रदान की जानी चाहिए बल्कि भ्र-टाचार के संभव स्रोतों को भी जन्म देती हैं। इसलिए कम्प्यूटर आधारित सूचना पद्धतियां विकसित करने पर बल देने की जरूरत है ताकि विवेकाधिकार और देशी कम हो सके।

5.30 जनता के साथ वास्ता रखने वाले प्रत्येक विभाग को नागरिक चार्टर तैयार करने चाहिए जिनमें प्रवर्तनयोग्य मानदंड स्प-ट रूप से तय किए जाएं। नागरिक चार्टर में प्रदान की जाने वाली सेवाओं के संबंध में मानकों की परिभा-ना की जानी चाहिए। इसके अन्तर्गत नागरिकों को उपलब्ध उपचारात्मक तंत्रों का भी उल्लेख होना चाहिए। मात्र नागरिक चार्टर अधिसूचित करना ही अंतिम उद्देश्य नहीं होना चाहिए। नागरिक सिविल चार्टर जारी करने के बाद विभागों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विभाग के कामकाज के प्रत्येक पहलू में और इन चार्टरों में दिए गए स्तरों के अनुरूप प्रत्येक स्तर पर भी आवश्यक परिवर्तन लागू कर दिए गए हैं। प्रत्येक विभाग को अपने कर्मचारियों में अभिवृत्तिमूलक परिवर्तन लाने के लिए व्यापक रूप से क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए।

जवाबदेही बढ़ाना

5.31 19 फरवरी 1999 को आयोजित रा-द्रीय विकास परि-द बैठक में अपने भा-ण में प्रधानमंत्री ने कहा था कि “लोग अफसरशाही को आमतौर पर सेवा प्रदाता के रूप की बजाए शो-ण के एक एजेंट के रूप में देखते हैं। भ्र-टाचार कम जोखिम वाला और ऊंचा पुरस्कार देने वाला कार्यकलाप समझा जाता है। सीमित समयवधि के साथ प्रायः और मनमाने ढंग से तबादले कार्य नैतिकता को नुकसान पहुंचा रहे हैं और ईमानदार अधिकारियों के मनोबल को कम करते हैं। प्रशासन से अनुशासन और परिश्रम की उम्मीद करते हुए राजनीतिक कार्यपालिका को अपने नि-पादन की स्वयं बारीकी से समीक्षा करनी चाहिए। जब तक हम ऐसा नहीं करते तब तक हम लोगों के मन में वह विश्वास पुनः पैदा नहीं कर सकते जिन्होंने हमें अपनी सेवा करने के लिए चुना है।”

5.32 एक राजकीय पद्धति में व्यापक रूप से कारोबार लागत की विद्यमानता से सार्वजनिक संस्थानों की विश्वसनीयता न-ट हो जाती है जिसके फलस्वरूप बड़े पैमाने पर उनका अलगव होता है और शासन का ताना-बाना ही कमजोर पड़ जाता है तथा विकास कार्यों में तेजी लाना वस्तुतः असंभव हो जाता है। जवाबदेही, पारदर्शिता और कानून व्यवस्था

अच्छे शासन के अभिन्न अंग हैं। सरकारी कामकाज में पारदर्शिता, जिसपर ऊपर चर्चा की गई है, निःसरण और कुप्रथाओं की संभावनाओं को अपने आप ही कम कर देगी। प्रभावी वित्तीय प्रबंधन तथा एक प्रतिक्रियाशील सिविल सेवा के लिए जवाबदेही का मुद्दा महत्वपूर्ण है।

5.33 निजी क्षेत्र के विकास और साथ ही यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी नागरिकों को, विशेष रूप से गरीबों को न्याय प्राप्त हो, एक प्रतिक्रियाशील कानूनी पद्धति आवश्यक है। मामलों के निपटान में देरियों को कम करने के उद्देश्य से सिविल और आपराधिक न्याय पद्धतियों को चुस्त बनाना महत्वपूर्ण है। इसके अलावा, न्यायालयों पर बोझ को कम करने के वास्ते नवीन तंत्रों, जैसे कि लोक अदालत (वैकल्पिक विवाद समाधान के लिए जन अदालत) का विचारण आवश्यक हो सकता है। गांवों में न्याय पंचायतों को भी सुदृढ़ किया जाना चाहिए।

5.34 वसूलियां एक ऐसा क्षेत्र है जहां कुप्रथाएं विशेष रूप से जन्म लेती हैं। वसूली निर्णयों में कुप्रथाओं के अवसरों को कम से कम करने के लिए, नियमित रूप से निविदा नोटिस, बोली की अंतिम तारीखें और ठेका प्रदान जारी करने को सुनिश्चित करते हुए सरकार और इसके विभागों द्वारा सभी संविदाओं और निर्माण कार्यों, वस्तुओं तथा सेवाओं की प्राप्ति के लिए कठोरतः प्रतिस्पर्द्धात्मक बोली को अनिवार्य बनाने के वास्ते विधानों/विनियमों का अधिनियमन प्रभावी ढंग से सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

5.35 प्रजातांत्रिक सरकारें नीचे से दबावों में आ जाती हैं और सरकार द्वारा शुरू किए गए सुधार चाहे कितने भी सुप्रेरित और निश्चित हों, वे तभी फलीभूत हो सकते हैं यदि सरकारी कार्यों और निर्णयों की समुदाय और सिविल सोसायटी द्वारा सतत रूप से संवीक्षा होती रहे और उनका दबाव पड़े। फिर भी, कमजोर शासन द्वारा उत्पन्न विशाल बोझ के बावजूद सिविल सोसायटी की ओर से कुल मिलाकर कार्रवाई का अभाव रहा है। शासन में भागीदारी की गति में केवल तेजी तेजी आएगी जब समाज में प्रतिसंतुलनकारी तत्व सरकार में अक्षमता और भ्र-टाचार का विरोध करने के लिए पर्याप्त विश्वास पैदा करेंगे। इसलिए राज्यों को विश्वसनीय सिविल सोसायटी संगठनों को न केवल बर्दाश्त करना चाहिए बल्कि उन्हें सक्रिय रूप से प्रोत्साहित करना चाहिए।

संधारणीयता : राजको-नीय सुधार

5.36 सरकार की राजको-नीय नीतियों का दृढ़ व संधारणीय होना महत्वपूर्ण है। दुर्भाग्यवश, जैसा कि सुविदित है, केंद्र और राज्यों की राजको-नीय स्थिति में 1990 के दशक में, विशेष रूप से 1997 के बाद लगातार गिरावट आई है। केंद्र और राज्यों का चालू राजस्व का मिश्रित शेन जो 1996-97 में ऋणात्मक 13,324 करोड़ रुपए था, 1999-2000 में ऋणात्मक 92,969 करोड़ रुपए हो गया। केंद्र का जीडीपी की प्रतिशतता के रूप में कर राजस्व 1989-90 में 11.3 प्रतिशत से घटकर 1999-2000 में 8.8 प्रतिशत हो गया। वित्तीय रूप से कमजोर आधारभूत क्षेत्रों ने राज्यों पर विशाल बोझ डाल दिया है; सार्वजनिक उपयोगिताओं के ग्राहकों द्वारा अदायगी न करने की बढ़ती परम्परा से समस्या और भी गंभीर हो गई है। जीडीपी में केंद्र और राज्यों के योजनागत व्यय का हिस्सा जो 1986-87 में 13.4 प्रतिशत था, कम होकर 1998-99 में 8.6 प्रतिशत हो गया, जिससे योजनागत परिव्यय सरकारी व्यय की एक अवशिष्ट मद बन गई है। योजना वित्तपो-ण में राज्यों का अपना हिस्सा अब बिलकुल ही नदारद है। सरकारों का ऋण बोझ तेजी से बढ़ता जा रहा है और अधिकांश सरकारें अपनी चालू खपत के वित्तपो-ण के लिए भी अधिकाधिक उधार ले रही हैं।

5.37 राजको-नीय संकट के गंभीर विकासात्मक निहितार्थ हैं। प्रथमतः घटते पूंजीगत निवेश से विकास धीमा होता है, जिसकी वजह से राजस्व प्राप्ति बढ़ाना और अधिक कठिन होता है। धीमी संवृद्धि का अर्थ यह है कि गरीबों की आमदनी पर्याप्त रूप से नहीं बढ़ती। दूसरे, बढ़ते ऋण बोझ के भावी पीढ़ी के कल्याण की बलि देने के गंभीर निहितार्थ हैं, जिन्हें कभी न कभी आज के अपव्यय की कीमत अदा करनी चाहिए।

5.38 प्रस्तुत संकट पर काबू पाने का एक प्रमुख उपाय प्रशासनिक खर्च में कटौती करना है, जो सरकारी संसाधनों के अधिकाधिक हिस्से को निगल रहा है, जिससे लोगों की विकासात्मक जरूरतों पर खर्च करने के लिए बहुत कम धन बच पाता है। निःसंदेह यह एक ऐतिहासिक विरासत है जिसपर काबू पाना होगा। आज की महत्वपूर्ण जरूरत, अधिशेन स्टाफ की सेवानिवृत्ति के लिए एक उदार पद्धति के साथ सरकार का आकार सही करने के वास्ते एक कार्रवाई योजना तैयार करने की है।

5.39 भारत सरकार को अपने स्टाफ में, विशेष रूप से राज्य विनयों से संबंधित मंत्रालयों में स्टाफ में कटौती करके, मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। केवल तभी केंद्र को यह नैतिक अधिकार प्राप्त होगा कि वह राज्यों से ऐसी ही कार्रवाई करने की मांग करे। मंत्रालयों में प्रारंभिक भर्ती पर नियंत्रण होना चाहिए तथा सेवानिवृत्ति के फलस्वरूप अधिकांश रिक्तियों को भरा नहीं जाना चाहिए तथा पदों को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। इस संबंध में केंद्र में और बहुत से राज्यों में उपाय शुरू किए गए हैं। कुछ देशों की भांति, स्टाफ में बढ़ोतरी के नियंत्रण पर पुनः बल देने के लिए किसी विभाग/संगठन विशेष के लिए प्राधिकृत पदों की कुल संख्या के बारे में एक विधायी सीमा निर्धारित करने की जरूरत है।

5.40 राजको-नीय समस्याओं का समाधान करने तथा संसाधन जुटाने में सुधार करने के वास्ते आवश्यक उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं :

विदेशी सहायता : राज्यों को विदेशी सहायता आकर्षित करने और उसके संवितरण में सुधार करने के वास्ते प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जो राज्यों के संसाधनों की अतिरिक्तता का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह एक ऐसा स्रोत है जिसके संबंध में इस समय कोई उच्चतम सीमा नहीं है और यह किस सीमा तक प्राप्त की जा सकती है, यह राज्यों की इस इच्छा पर निर्भर करता है कि वे कितने सक्रिय हैं, कितनी सुदृढ़ नीतियों का अनुसरण करते हैं और समय पर कार्यान्वयन को कितना प्राथमिकतापूर्ण ध्यान देते हैं।

एकल आर्थिक स्थान : राज्यों को, देश को एकल आर्थिक स्थान के रूप में देखने के परस्पर लाभों को समझने की जरूरत है, जिससे राज्यों द्वारा पर्याप्त आर्थिक लाभ अर्जित किए जा सकते हैं। अधिक एकीकरण और बाधाओं को दूर करने से वाणिज्य और व्यवसाय को प्रोत्साहन मिलेगा तथा सभी संबंधितों के लिए एक सफलता की स्थिति पैदा होगी। इसी प्रकार, निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए राज्यों के बीच कर प्रतिस्पर्द्धा है। ऐसी नीतियां हानिप्रद हैं क्योंकि राज्यों ने निवेश निर्णयों को प्रभावित किए बगैर कर राजस्व खो दिया है। निवेश समुदाय की निर्णय लेने की अवधारणा में बेहतर आधारभूत ढांचा, तीव्र निर्णय निर्माण और निवेशक-मित्रतापूर्ण परिवेश अधिक महत्वपूर्ण हैं तथा राज्यों के स्रोत ऐसे क्षेत्रों में बेहतर ढंग से प्रयोग किए गए हैं।

राज्य गारंटियां : एक प्रथा जो राज्यों को राजको-नीय संकट की ओर धकेल रही है वह राज्य

स्तरीय सार्वजनिक उद्यमों के उधारों के लिए गारंटी का तुरंत विस्तार है। इन गारंटियों का बोझ राज्य सरकारों पर पड़ेगा क्योंकि बहुत से उद्यमों की वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं है। इस प्रथा से राज्यों की विश्वसनीयता को हानि पहुंचेगी और उनकी क्रेडिट रेटिंग तथा भवि-य में संसाधन जुटाने के सामर्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। गारंटियों पर विधायी नियंत्रण से, जैसाकि कुछ राज्यों द्वारा किया गया है, राज्यों में निवेशकों के विश्वास में सुधार होगा।

5.41 इसी प्रकार, “सुधार से जुड़ी केंद्रीय सहायता” स्प-टतः लागू करने का मामला है। मध्यावधि राजको-नीय नीति में ऐसे उपाय शामिल होने चाहिए जिनका उद्देश्य राज्यों के सामने प्रस्तुत राजको-नीय दबाव को दूर करने के लिए राज्यों को वित्तीय मदद देना है। तथापि, इस नीति में कुछ शर्तें शामिल करनी होंगी। इनके अन्तर्गत राज्यों को राजको-नीय तथा शासन मोर्चों पर पेश आ रहे क्रांतिक मुद्दों पर बल दिया जाएगा। ये शर्तें संबंधित राज्यों की सहमति से तैयार की जाएंगी। सुधार से जुड़ी सहायता को कुछ समय के दौरान समाप्त करने की जरूरत है जिससे कि राज्य स्तर पर सुधार प्रक्रिया को तेज किया जा सके और मध्यावधि में राज्यों के वित्त को दृढ़ आधार पर लाने में मदद मिल सके।

पर्यावरणीय संघारणीयता

5.42 विगत तीस व-र्षों में यह तय करने के लिए पर्याप्त आनुभाविक साक्ष्य विद्यमान हैं कि पर्यावरणीय संरक्षण भी आर्थिक विकास के साथ-साथ किया जाना चाहिए क्योंकि जिस आर्थिक विकास से पर्यावरण का विनाश होता है उससे ज्यादा गरीबी, बेरोजगारी और बीमारियां पैदा होंगी क्योंकि गरीब लोग अपनी दिन-प्रतिदिन की जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रकृति पर अधिक निर्भर रहते हैं और इस प्रकार इसे आर्थिक विकास नहीं कहा जा सकता। इसे संसाधनों का धनवानों से गरीबों को मात्र अंतरण कहा जा सकता है।

5.43 पर्यावरणीय विनाशक आर्थिक विकास गरीबों को और अधिक गरीब बना देगा तथा उनके आजीविका आधार को समाप्त कर देगा। स्वच्छ वायु और स्वच्छ जल के अभाव में न केवल गरीबों की उत्पादकता कम हो रही है बल्कि चिकित्सा देखभाल पर उनका खर्च बढ़ता जा रहा है जिसके फलस्वरूप उनकी कठिनाई में और वृद्धि हो रही है। वनरहित पहाड़ियों और बंजर चारागाहों के फलस्वरूप भू-जल स्तरों

में गिरावट आ रही है कार्बनिक खाद की उपलब्धता घटी है, और फसलों के लिए मृदा और आद्रता की हानि हुई है, इस प्रकार वर्नापोनित खेती की उत्पादकता तथा पशुओं के माध्यम से आमदनी प्रभावित हुई है। भारत में पर्यावरणीय चिन्ता “सुन्दर वृक्षों और चीतों से परे” तक जानी चाहिए और इसे लोगों के जीवन और चिन्ताओं के साथ जोड़ा जाना चाहिए।

5.44 तथापि बेहतर पर्यावरण और वनों में निवेश के लिए अलोकप्रिय निर्णय लेने पड़ सकते हैं जैसे कि प्रदू-णकारी उद्योगों को बंद करना, वाहन प्रदू-ण को नियंत्रित करना, वन कच्ची सामग्री पर सब्सिडी को कम करना आदि। इसके लिए अधिक निवेश की भी आवश्यकता है जिसके लाभों को आसानी से स्प-ट नहीं किया जा सकता और जो तत्काल नहीं होंगे। जब राज्य निधियों के अभाव से ग्रस्त हैं, इन विभागों के बजटों और कार्यकलापों में कटौतियां आरोपित की जा रही हैं, और धन का उपयोग वेतनों की अदायगी करने अथवा सिविल निर्माण कार्यक्रमों के लिए किया जा रहा है। इसलिए, शासन को सुधारने का अर्थ बेहतर नीतियां तथा पर्यावरणीय चिन्ताओं पर अधिक ध्यान देकर जीवन स्तर को सुधारने के लिए और अधिक निधियां प्रदान करना है।

योजना और कार्यान्वयन : दिशाएं

पूंजी निवेश

5.45 माना जाता है कि पूंजीगत निवेश विकासात्मक खर्च का उत्पादक तथा विकास बढ़ाने वाला घटक है। 1950 और 1960 के दशकों के प्रारंभिक वर्षों में योजनाओं में मुख्यतः पूंजीगत निवेश शामिल होते थे। उन दिनों में, क्योंकि एक नए आजाद देश के रूप में देश एक अपेक्षाकृत निम्न आधार पर शुरूआत कर रहा था, सरकारें मुख्य रूप से सार्वजनिक संपत्तियों के भंडार में वृद्धि करने से संबंधित थी। तब से योजना परिव्ययों के अनुपात के रूप में पूंजीगत व्यय में लगातार कमी आ रही है और ग्यारहवें वित्त आयोग के अनुमान के अनुसार अब यह राज्यों के योजना परिव्ययों का केवल लगभग 42 प्रतिशत है। केरल और आंध्र प्रदेश जैसे कुछ राज्यों के मामले में यह अनुपात 25 प्रतिशत से भी कम है।

5.46 राज्य, इस बात को समझते हैं कि योजना परिव्ययों में पूंजीगत निवेशों का पर्याप्त ऊंचा अनुपात सम्मिलित होना चाहिए। फिर भी तंगी तथा प्रशासनिक तंत्र के कारण उत्पन्न तात्कालिकता के चलते, जिसमें से अधिकांश राजस्व व्यय

में परिवर्तित हो जाता है, पूंजीगत व्यय को बढ़ाने में कठिनाई का अनुभव कर रहे हैं। कभी-कभी राज्यों को स्थिति पर कड़ी नजर रखने की जरूरत है, अल्पावधि बातों को छोड़कर, तथा इस संबंध में दूर की बात सोचनी चाहिए चाहे इसका अर्थ कठोर निर्णय लेना ही क्यों न हो। योजना के पूंजीगत घटक को संरक्षित रखने की जरूरत है ताकि योजनागत निधियों का उपयोग मुख्य रूप से विकास प्रेरक उत्पादक परिसंपत्तियों के सृजन के लिए किया जा सके। यह राज्य के विकास के लिए दूरदृष्टि से हितकारी है।

पूंजी परिसंपत्तियों का अनुक्षण

5.47 इसका एक और पक्ष भी है। यह कहा जा सकता है कि आज के समय में जबकि हमने पांच से अधिक दशकों से नियोजित विकास किया है, और पूंजीगत परिसंपत्तियों के एक बड़े भंडार का सृजन किया है, राज्य सरकारों को विद्यमान सार्वजनिक संपत्तियों और स्कीमों के परिरक्षण की भी चिन्ता करनी चाहिए जिनका पिछले वर्षों के दौरान निर्माण किया गया है।

5.48 अब समस्या, विशेष रूप से इसलिए उत्पन्न होती है क्योंकि इन सार्वजनिक संपत्तियों के परिरक्षण और उपयोग के लिए, इनके संचालन और अनुक्षण (ओएंडएम) पर आवर्ती खर्च करना पड़ता है, जिसे सरकार की एक सामान्य जिम्मेदारी समझा जाता है। इसलिए उन्हें ‘नए’ विकास व्यय के क्षेत्राधिकार के अंदर नहीं समझा जाता और ये योजना से बाहर हैं। बढ़ती स्थापना लागतों और ब्याज बोझ के कारण योजना-भिन्न व्यय पर राजकोनीय नियंत्रण बढ़ता जा रहा है। इसकी वजह से इन पूंजीगत परिसंपत्तियों के अनुक्षण के लिए कम व्यवस्था करने की प्रवृत्ति रहती है क्योंकि स्थापना और ब्याज अदायगियों की संसाधनों पर अधिक बाध्यकर प्राथमिकता होती है, जबकि अनुक्षण व्यय के अल्प निधियन का प्रभाव तत्काल दिखाई नहीं देता। तथापि, मध्यावधि में उत्पादक परिसंपत्तियों के माध्यम से प्रभाव अनुभव किया जाता है जिनका सृजन एक बड़े लम्बे समय के दौरान किया गया है और अनुक्षण के अभाव में उनमें ह्रास हो गया है तथा वे उस उत्पादक प्रयोजन की पूर्ति नहीं कर रही हैं जिनके वास्ते उनका सृजन किया गया था।

5.49 इसलिए अनुक्षण के लिए खर्च की व्यवस्था करनी होगी। किसी राज्य के बारे में यह नहीं कहा जा सकता कि वह बुद्धिमानीपूर्वक योजना तैयार कर रहा है यदि बड़ी लागत

से निर्मित पूंजीगत परिसंपत्तियां अनुरक्षण व्यय के अभाव में यूं ही व्यर्थ जाने दी जाएं। विवेकपूर्ण आयोजना का अर्थ होगा कि इन खर्चों के लिए पूरी बजट व्यवस्था की जाए और उसे विकास व्यय का एक अनिवार्य घटक समझा जाए, क्योंकि उनके लिए व्यवस्था न करने का अर्थ होगा कि अनेक वर्गों के दौरान सृजित परिसंपत्तियों को यूं ही व्यर्थ जाने दिया जाए।

5.50 इस दृष्टिकोण का तत्काल परिणाम यह होगा कि ओएंडएम व्यय धीरे-धीरे विकास व्यय के एक बड़े भाग पर छा जाएगा, नए निवेशों पर बोझ बढ़ेगा, और संघारणीयता पर संदेह होगा। यदि इस किस्म के व्यय के साथ-साथ लाभार्थियों से उन्हें प्रदान की जा रही सेवाओं के लिए पर्याप्त उपभोक्ता प्रभार वसूलने की नीति अपनाई जाए तो ऐसा नहीं हो सकता, ओएंडएम पर व्यय से नई परियोजनाओं और स्कीमों के लिए योजना में कटौती नहीं हो सकती। दूसरी ओर यदि सरकारें अधिकांश या संपूर्ण ओएंडएम बोझ स्वयं उठाने की नीति का चयन करें तो इसका अर्थ होगा कि ऐसा करने से अत्यावश्यक नई पूंजीगत परिसंपत्तियां सृजित करने की उनकी क्षमता कम हो जाएगी।

5.51 तथापि विद्यमान पूंजीगत परिसंपत्तियों की उत्पादकता तथा दसवीं योजना के दौरान संसाधन उपयोग की कार्यकुशलता सुधारने के प्रयास स्वरूप पहली बार योजना के अंतर्गत महत्वपूर्ण मरम्मत और अनुरक्षण के वास्ते योजनागत निधियों के चयनात्मक उपयोग की अनुमति दी गई है, जिससे इस दिशा में एक सकारात्मक प्रयास का संकेत मिलता है।

सामाजिक क्षेत्रक व्यय

5.52 आजकल प्राप्त अनुभवों के परिणामस्वरूप यह समझा जाने लगा है कि मानव पूंजी में निवेश भी, यदि ज्यादा नहीं, तो उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि “कठोर” पूंजीगत निवेश। मानव विकास को अब अपने आप में ही अंत नहीं समझा जाता बल्कि सभी के लिए और अधिक आर्थिक विकास व समृद्धि प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण साधन समझा जाता है। योजना आयोग ने इस बात की मान्यता के संकेतस्वरूप दसवीं योजना के पहले वर्ष में एक रा-द्रीय मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित की है।

5.53 इस प्रकार के निवेश से इन अर्थों में एक अन्य प्रकार के आवर्ती व्यय की स्थिति पैदा होती है कि मानव

पूंजी का सृजन करने वाली सेवाएं मुख्य रूप से कार्मिकों के माध्यम से प्रदान की जाती हैं और इसके लिए अपेक्षाकृत भारी स्टाफ घटक की जरूरत है जैसे कि अध्यापक, स्वास्थ्य देखभाल कार्यकर्ता आदि इसके अलावा, अन्य पूंजीगत परियोजनाओं के विपरीत, जिनमें अधिकांश स्टाफ व्यय परियोजना के निर्माण चरण के साथ जुड़ा होता है और ऐसी लागत बाद में कम हो जाती है, मानव पूंजीगत परियोजनाओं के मामले में स्टाफ व्यय अनिवार्य तथा स्कीम अथवा कार्यक्रम का एक सतत भाग है, क्योंकि उनके बगैर वांछित विकास परिणाम प्राप्त नहीं होंगे। निकट भवि-य में सामाजिक सेवाओं का विस्तार जारी रहेगा जब तक कि मानव विकास के वांछित स्तर प्राप्त न हो जाएं। तथापि, सामाजिक क्षेत्रों में सुविधाओं के किसी नियोजित विस्तार के लिए व्यवस्था करनी होगी और आवर्ती लागतों के अर्थों में दीर्घावधिक निहितार्थों की व्यवस्था करनी होगी। गुणवत्ता बनाए रखते हुए सेवाएं प्रदान करने की लागत कम करने के लिए नवीन समाधान खोजने होंगे, जिससे कि सेवाओं में होने वाला विस्तार संघारणीय हो।

5.54 वर्तमान राजको-नीय तथा प्रशासनिक सुधारों के संदर्भ में, अन्य सरकारी अथवा अर्ध-सरकारी संस्थापनाओं से सामाजिक क्षेत्रकों में कार्मिकों की पुनर्तैनाती पर विचार किए जाने की जरूरत है। जरूरत सेवाएं प्रदान करने की दिशा में बढ़ने की है जिसके लिए पुनर्तैनाती की शिथिलता के बिना किसी विशि-ट परियोजना के वास्ते भर्ती करने की बजाए, किसी एक परियोजना पर कार्य समाप्त हो जाने के बाद और कोई नई परियोजना शुरू होने पर कार्मिकों की एक परियोजना से दूसरी परियोजना पर पुनर्तैनाती करने के वास्ते सजग रूप से प्रयास किया जाना चाहिए। इसके अलावा, मध्य प्रदेश और राजस्थान में निम्न ढांचागत अपरिव्यय के साथ ठेके पर समुदाय द्वारा नियुक्त अध्यापकों और उत्तर प्रदेश में स्कूल शिक्षा के विस्तार में मदद देने के वास्ते निजी शिक्षा संस्थाओं को प्रोत्साहित करने के वास्ते एक बार पूंजीगत अनुदान (ऐसे संस्थानों को आवर्ती सहायता अनुदान देने की नीति के बजाए) के संबंध में अपनाए गए विकल्पों से संकेत मिलता है कि सामाजिक सेवाओं का विस्तार करने के समग्र उद्देश्य के बारे में समझौता किए बिना, आगे बढ़ने के उपाय मौजूद हैं।

परियोजनाकरण

5.55 एक और महत्वपूर्ण मुद्दा पूंजी के उत्पादक निवेश से संबंधित है। “परियोजनाकरण” सरकार में अभी भी एक अपूर्ण कला बनी हुई है। समस्या परियोजना निर्माण को अलग करने

की है और जिसे वाणिज्यिक विश्व में “वित्तीय समापना” कहा जाता है। एक सामान्य प्रवृत्ति, योजना संवीक्षा के लिए परियोजनाओं के आकार का कम उल्लेख करने की है जिससे कि उन्हें एक बाधित संसाधन सीमा के अन्तर्गत संकुचित किया जा सके। उसके बाद जैसे-जैसे समय बीतता जाता है उनका सही रूप सामने आने लगता है। परिणामतः परियोजनाएं पूर्णतः वित्तपोषित नहीं होती; कार्यान्वयन में चूक होती है, और लागतों में पर्याप्त वृद्धि हो जाती है। पूंजीगत परिव्ययों के उचित आयोजन के लिए व्यापक परियोजना समूहकरण, लागत और पूर्ण वित्तीय प्रतिबद्धता आवश्यक है। एक व्यावसायिक प्रस्ताव के रूप में सक्षम उत्पादक पूंजी के निवेश पर विचार करना संभव हो सकता है जिसके अन्तर्गत परियोजना के लिए आवश्यक परिव्ययों की प्रतिबद्धता की दृष्टि से एक प्रकार की वित्तीय समापन योजना में ही निर्धारित किया जाता है जिससे कि अपेक्षित संसाधनों की व्यवस्था हो सके और लागतों पर, जिसमें बढ़ोतरी शामिल है, सीमा लगाई जा सके। व्यवहार्यतः प्रतिबद्ध प्रारंभिक अथशे-न के साथ, ऐसा परिव्यय जिसे स्वतः ही अलग रखा जाता है, संबंधित विभागों के लिए बाद के योजना परिव्ययों में शामिल करके, ऐसा भावी प्रभाव से किया जा सकता है। यद्यपि इससे पिछले बकाया की समस्या का समाधान तत्काल नहीं हो सकता, जो विशाल होगी, तथापि इससे कम से कम यह सुनिश्चित होगा कि अब तक प्रतिबद्ध की प्राप्ति हो जाए।

प्रमुख योजना

5.56 योजना के आकार के संबंध में निर्णय पारम्परिक रूप से मिडिया और जनता के सामने सदैव बढ़ते विकास परिव्ययों का एक आशावादी चित्र प्रस्तुत करने की प्रवृत्ति से प्रेरित होता है। इसके साथ ही राज्य सरकारें ऐसे कठोर निर्णय लेने से बचती हैं जिनमें ऐसी स्कीमों/क्षेत्रों के लिए, जिनकी समकालीन प्रासंगिकता कम है, परिव्ययों में कटौती करना अथवा उन्हें छोड़ देना शामिल है। इसकी वजह से उपलब्ध निवेश संसाधनों का काफी बड़ी मात्रा में अधिक अनुमान लगाया जाता है। इसे योजना पर “अत्याधिक बोझ” डालना भी कहा जा सकता है।

5.57 अत्यधिक बोझ का मसला तभी होता है जब संवीक्षा तंत्र कमजोर होता है और इसका अर्थ है कि शीर्ष निर्णय निर्माता क्षेत्रकीय सीमा और प्राथमिकताएं निर्धारित करने में अथवा प्रवर्तित करने में असमर्थ रहते हैं। जब बोझिल योजना राज्य वित्त की वास्तविक बाधाओं के रहते सामने आती है

तो परिणाम अवश्यम्भावी है : वित्तीय वर्ग की समाप्ति पर निधियों और आवंटनों का तदर्थ समायोजन। ऐसे तदर्थ समायोजनों का सामान्य अर्थ विभिन्न क्षेत्रों के लिए योजना आवंटनों में उसी समय कटौती करना है। इस प्रकार राज्य को ऐसी प्राथमिकताओं को त्यागना अथवा कम करने पर बाध्य होना पड़ता है जिन्हें पहले तय किया गया था और जो मूल योजना आवंटनों में परिलक्षित थीं। इस प्रकार ज्यादा बोझ लादने से प्राथमिकताओं को छोड़ना पड़ता है और अंततः यह अपनी ही हार होती है।

5.58 योजना को बोझिल बनाना कार्यक्रमों की बहुलता से भिन्न है। एक प्रबंधन साधन के रूप में प्रयुक्त अत्यधिक कार्यक्रमों का अर्थ योजना में थोड़े से विस्तृत उच्च स्तर के परिव्ययों को जानबूझ कर शामिल करना है जिनका अप्रत्याशित परियोजना चूकों की क्षतिपूर्ति के लिए, वस्तुतः वित्तपोषण किया जा सकता है। यह सावधानीपूर्वक प्रत्याशित प्राथमिकता तय करने के साथ-साथ भी किया जा सकता है ताकि निम्न प्राथमिकता वाली परियोजनाओं अथवा स्कीमों के लिए निधियां केवल तभी उपलब्ध हों यदि उच्च प्राथमिकता वाली परियोजनाएं कार्यक्रमबद्ध सीमा तक निधियों का उपयोग करने में असमर्थ रहें। और यह तभी वांछनीय है जब कार्यक्रमबद्ध निधियों की पूर्ण निकासी को एक अच्छी बात समझा जाए, यदि निधियां ऊंची लागत वाले स्रोतों से प्राप्त हो रही हैं तो ऐसा नहीं भी हो सकता। ऐसे मामलों में बृहद दृष्टि से यह बेहतर होगा कि निधियों को अप्रयुक्त ही रहने दिया जाए बजाए इसके कि कार्यक्रम बड़ा बनाया जाए।

5.59 वास्तविक संसाधन ढांचे के साथ योजना तैयार करना तथा फलतः प्रभावी प्रत्याशित प्राथमिकताकरण, बिना किसी नियंत्रण के विकास कार्यक्रम को कार्यान्वित करने का सर्वोत्तम मार्ग है। राज्यों को इस कार्य में मदद देने के वास्ते, योजना आयोग ने, बेहतर आयोजन और प्राथमिकताकरण के लिए, राज्य योजनाओं में यथार्थता प्रोत्साहित करने के निमित्त उपाय किए हैं। “महत्वपूर्ण योजना” अथवा योजना की अवधारणा, जिसकी उम्मीद के अनुसार संसाधन फलीभूत न होने की स्थिति में आंकी जाएगी, राज्यों को सिफारिश कर दी गई है। योजना को अंतिम रूप देने के समय दृष्टिगत संसाधनों को ध्यान में रखते हुए तथा योजना के वित्तपोषण के लिए उपलब्ध संसाधनों के यथार्थ और परम्परागत अनुमान अपनाते हुए, अब राज्यों के साथ चर्चा करने के बाद वार्षिक योजना परिव्ययों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस उपाय की अधिकांश मुख्य मंत्रियों ने उपाध्यक्ष के साथ अपनी वार्षिक योजना चर्चाओं

के दौरान भी सराहना की है। इसके फलस्वरूप वार्षिक योजनाओं के सम्मत परिव्ययों और वास्तविक उपलब्धि के बीच अंतर में कमी आई है।

अधूरे कार्यों को पूरा करना

5.60 उपलब्ध संसाधनों का एक बड़ा भाग विद्यमान प्रतिबद्धताओं, अर्थात् अधूरे निर्माण कार्यों और वर्तमान स्कीमों को पूरा करने के लिए आवंटित किया जाना चाहिए। अधूरे कार्य, जो अपर्याप्त संसाधन आवंटन के कारण कटुता को जन्म देते हैं सरकार की सेवा प्रदान करने की क्षमता में विश्वास समाप्त करते हैं। विद्यमान रहते बड़ी संख्या में ऐसे निर्माण कार्यों और स्कीमों को ध्यान में रखते हुए उनके प्राथमिकताकरण के लिए एक सरल पारदर्शी मापदंड विकसित करना आवश्यक है जिससे कि संसाधनों का सर्वाधिक उत्पादक उपयोग हो सके। उदाहरण के लिए मापदंड यह हो सकता है कि जो निर्माण कार्य 80 प्रतिशत से अधिक पूरे हो गए हैं उन्हें शामिल करने और जिन निर्माण कार्यों पर 10 प्रतिशत से अधिक राशि खर्च नहीं हुई है उन्हें समाप्त करने की संभावना की समीक्षा की जा सकती है। राज्य सरकारें इस आशंका से कि उनका विवेकाधीन प्राधिकार समाप्त हो जाएगा, तर्कपूर्ण मापदंड निर्धारित करने में हिचाकिचाती हैं। पारदर्शी मापदंड का उद्देश्य मनमाना विवेक कम करना है। किन्तु प्रत्येक मापदंड का बड़ा लाभ है क्योंकि इससे संसाधनों के गलत आवंटन के लिए अनुचित दबाव समाप्त करने में मदद मिलती है और एक निश्चित समय सीमा के अंदर उत्पादक परिणामों की संभावना में वृद्धि होती है।

5.61 योजना में सम्मिलित करने के वास्ते नए निवेश शुरू करने से पहले सभी विद्यमान प्रतिबद्धताओं और अधूरे कार्यों का उनकी आवश्यकताओं के अनुसार पूर्णतः वित्तपोषण किया जाना चाहिए। यदि चालू निर्माण कार्यों के लिए पूरी व्यवस्था कर ली जाती है तो नए निवेशों पर विचार किया जा सकता है अथवा नए निवेशों के लिए निवेशयोग्य योजना संसाधनों के कुछ प्रतिशत को अलग से रखने के संबंध में सोच-समझकर निर्णय लिया जा सकता है। अनुमोदित अथवा मंजूरशुदा

स्कीमों, निर्माण कार्यों अथवा परियोजनाओं के लिए किसी भी नए निवेश का बड़ा भाग निश्चित किया जाना चाहिए। नए प्रस्तावों की संख्या को केवल विधिवत स्वीकृत और सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित तक सीमित रखने से समय पर कार्यान्वयन और आवंटित निधियों के उत्पादक उपयोग की संभावना बढ़ती है।

योजना का सारणीकरण

5.62 अन्ततः योजना निर्माण की प्रक्रिया और सारणीकरण भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि योजना की विनयवस्तु। योजना कितनी ही अच्छी तरह से तैयार की जाए, यदि वह कठोर वार्षिक सारणी के अनुसार तैयार नहीं की गई है तो प्रयास व्यर्थ जाएगा। इसका कारण यह है कि किसी भी प्रभावी निवेश योजना के लिए एक मूलभूत आधार योजना प्रलेख का समग्र कार्यक्रम और सार्वजनिक निवेशों के प्रबंधन में और वित्तीय तथा आर्थिक प्रबंध में एक नियमित साधन के रूप में उसका उपयोग है। यद्यपि अधिकांश राज्यों के पास ऐसी व्यवस्था है कि योजना में स्कीमों का शामिल किया जाना आमतौर पर उस स्कीम के लिए बजटीय परिव्यय की एक पूर्व शर्त है, तथापि किसी स्कीम विशेष के लिए वास्तविक आवंटन का सदा ही योजना प्रलेख में वर्णित राशि के साथ कोई निकट संबंध नहीं होता। ऐसी स्थिति तब पैदा होती है जब योजना और बजट व्यवस्था के बीच सही सारणीकरण नहीं होता। यदि योजनाएं समय पर और बजटीय चक्र के साथ तालमेल से तैयार नहीं की जाती तो उन्हें सही ढंग से बजट में परिलक्षित नहीं किया जा सकता और इस प्रकार सरकार की विकास प्राथमिकताओं और आर्थिक संबंध के एक साधन के रूप में प्रतिबद्धता की दृष्टि से उनकी प्रासंगिकता समाप्त हो जाती है। बजटीय अनुमोदन के लिए विधायी समय तालिका के साथ एकीकरण प्राप्त करना, सारणीकरण सुधारने के लिए आंतरिक प्रक्रियात्मक सुधार और योजना प्रक्रिया में विभिन्न उपायों के लिए समयसीमा में कुछ कठोरता, समय सीमा उसी ढंग से निर्धारित और प्रवर्तित की जानी चाहिए जैसे कि बजटीय समय सीमा, पर्याप्त रूप से आवश्यक है।

पंचायती राज संस्थाओं की स्थिति-चुनिन्दा संकेतक (फरवरी, 2002)

राज्य/संघ केडीआरडीए/ राज्य क्षेत्र	पंचायत चुनावों का आयोजन	गठन	डीपीसी का की सिफारिशों की स्थिति	राज्य वित्त आयोग संबंध में निधियों, जेडपी कार्यों और संयोजन कार्यकर्ताओं का की स्थिति अंतरण(243जी)	29 विषयों
1	2	3	4	5	6
1. आंध्र प्रदेश	जीपी चुनाव अगस्त 2001 में आयोजित तथा मध्यवर्ती और जिला पंचायत चुनाव जुलाई 2001 में आयोजित	गठन नहीं हुआ	54 सिफारिशें पूर्णतः स्वीकृत, 11 कुछ संशोधनों के साथ तथा 19 को बिलकुल स्वीकार नहीं किया गया। द्वितीय रा.वि.आ.गठित	निधियां-05 कार्य -17 कार्यकर्ता -02	डीआरडीए और जेडपी का विलयन नहीं हुआ, कलेक्टर, डीआरडीए का अध्यक्ष तथा जिला परिषद प्रधान उपाध्यक्ष है।
2. अरुणाचल प्रदेश	चुनाव नहीं हुए	गठित	गठित नहीं	अभी लागू नहीं	अभी नहीं
3. असम	चुनाव जनवरी 2002 में आयोजित	अभी तक गठित नहीं	सिफारिशें अंशतः स्वीकृत	अभी तक कोई कार्रवाई नहीं	अंतरित नहीं
4. बिहार	चुनाव अप्रैल 2001 में आयोजित-	नहीं	रिपोर्ट की प्रतीक्षा है	निधियां कार्य -20 कार्यकर्ता -	विलयन नहीं हुआ
5. गोआ	जीपी-1997 में डीपी 2000 में	कोई सूचना नहीं	रिपोर्ट विचाराधीन	कोई सूचना उपलब्ध नहीं	विलय विचाराधीन
6. गुजरात	जीपी-दिसम्बर 2001 पीएस और डीपी-दिसम्बर, 2000 में	गठित नहीं	प्राप्त, किन्तु अभी तक विधान सभा के सामने विचारार्थ प्रस्तुत नहीं	कोई सूचना उपलब्ध नहीं	विलय नहीं हुआ
7. हरियाणा	चुनाव मार्च 2000 में आयोजित	केवल 16 जिलों में	प्रमुख सिफारिशें स्वीकृत	निधियां-0 कार्य-16 कार्यकर्ता 0	विलय नहीं हुआ

राज्य/संघ केडीआरडीए/ राज्य क्षेत्र	पंचायत चुनावों का आयोजन	गठन	डीपीसी का की सिफारिशों की स्थिति	राज्य वित्त आयोग 29 विषयों संबंध में निधियों, कार्यों और कार्यकर्ताओं का अंतरण(243जी)	जेडपी संयोजन की स्थिति
1	2	3	4	5	6
8. हिमाचल प्रदेश	चुनाव दिसम्बर 2000 में आयोजित	12 जिलों में से केवल 5 में	स्वीकृत द्वितीय रा.वि.आ.गठित	निधियां-2 कार्य-23 कार्यकर्ता -9	विलय हो गया प्रधान, जिला परिषद की अध्यक्षता में
9. जम्मू और काश्मीर	73वां संविधान संशोधन अधिनियम अभी राज्य में लागू किया जाना है। तथापि, गृह मंत्रालय ने जम्मू और काश्मीर राज्य सरकार से राज्य में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 लागू करने के संबंध में राज्य विधान सभा के विचार जानने का अनुरोध किया है। कुछ भाग में पंचायत चुनाव राज्य पंचायती राज अधिनियम के अनुसार जनवरी-फरवरी, 2001 में आयोजित हुए थे।				
10. कर्नाटक	जीपी-फरवरी, 2000 पीएस और डीपी- जुलाई 2000	केवल 5 जिलों में	प्रमुख सिफारिशें स्वीकृत	निधियां-29 कार्य-29 कार्यकर्ता -15	विलय हो गया
11. केरल	सितम्बर, 2000	हां	स्वीकृत और कार्यान्वित। द्वितीय रा.वि.आ. गठित	निधियां-15 कार्य-29 कार्यकर्ता -15	विलय हो गया और जिला परिषद के प्रधान अध्यक्ष हैं
12. मध्यप्रदेश	जनवरी 2000	हां	स्वीकृत। द्वितीय रा.वि.आ.गठित	निधियां-10 कार्य-23 कार्यकर्ता -9	विलय हो गया
13. महाराष्ट्र	जीपी अक्टूबर, 1997 पीएस और डीपी मार्च 1997 में	नहीं	प्रमुख सिफारिशें स्वीकृत	निधियां-18 कार्य-18 कार्यकर्ता -18	जेडपी के साथ डीआर डीए के विलय के विरुद्ध
14. मणिपुर	जीपी और डीपी जनवरी, 1997	हां, 4 जिलों में से 2 में	स्वीकृत	निधियां-0 कार्य-22 कार्यकर्ता -0	कोई सूचना उपलब्ध नहीं
15. मेघालय 16. मिजोरम 17. नागालैंड	73वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू नहीं है क्योंकि इन राज्यों में स्थानीय स्वःशासन की पारम्परिक पद्धति लागू है				

राज्य/संघ केडीआरडीए/ राज्य क्षेत्र स्थिति	पंचायत चुनावों का आयोजन	गठन	डीपीसी का की सिफारिशों की स्थिति	राज्य वित्त आयोग संबंध में निधियों, कार्यों और कार्यकर्ताओं का अंतरण(243जी)	29 विषयों जेडपी संयोजन की
1	2	3	4	5	6
18. उड़ीसा	जनवरी 1997 अनुसूची पांच क्षेत्र में चुनाव अवैध	केवल 6 जिलों में	स्वीकृत	निधियां-5 कार्य-25 कार्यकर्ता -3	विलय हो गया और जिला परिषद के प्रधान अध्यक्ष हैं।
19. पंजाब	जीपी जून 1998 पीएस और डीपी चुनाव होने हैं	अभी नहीं	स्वीकृत	निधियां-0 कार्य-7 कार्यकर्ता -0	विलय नहीं हुआ
20. राजस्थान	जनवरी 2000	हां	स्वीकृत। द्वितीय रा.वि.आ. गठित	निधियां-0 कार्य-29 कार्यकर्ता -0	विलय हो गया
21. सिक्किम	अक्टूबर, 1997	हां	स्वीकृत। द्वितीय रा.वि.आ. गठित	निधियां-24 कार्य-24 कार्यकर्ता -24	स्थिति की रिपोर्ट नहीं
22. तमिलनाडु	अक्टूबर, 2001	हां	स्वीकृत। द्वितीय रा.वि.आ. गठित	निधियां-0 कार्य-29 कार्यकर्ता -0	स्थिति स्प-ठ नहीं
23. त्रिपुरा	जुलाई, 1999	हां	स्वीकृत। द्वितीय रा.वि.आ. गठित	निधियां-0 कार्य-12 कार्यकर्ता -0	स्थिति बताना कठिन
24. उत्तरप्रदेश	जून, 2000	हां	स्वीकृत। द्वितीय रा.वि.आ. गठित	निधियां-12 कार्य-13 कार्यकर्ता -9	विलय हो गया और जिला परिषद के प्रधान अध्यक्ष हैं
25. प. बंगाल	जून, 1998	हां	स्वीकृत	निधियां-12 कार्य-29 कार्यकर्ता -12	विलय हो गया और जिला परिषद के प्रधान अध्यक्ष हैं

राज्य/संघ केडीआरडीए/ राज्य क्षेत्र	पंचायत चुनावों का आयोजन	गठन	डीपीसी का की सिफारिशों की स्थिति	राज्य वित्त आयोग संबंध में निधियों, कार्यों और कार्यकर्ताओं का अंतरण(243जी)	29 विषयों जेडपी संयोजन की स्थिति
1	2	3	4	5	6
26. छत्तीसगढ़	जनवरी, 2000	हां	गठित नहीं	निधियां-10 कार्य-23 कार्यकर्ता -9	विलय हो गया
27. झारखंड	चुनाव होने हैं। बताया गया है कि चुनाव सितम्बर 2002 में होंगे	गठित नहीं	गठित नहीं	कोई सूचना उपलब्ध नहीं	
28. उत्तरांचल	पंचायत की कार्यावधि दिसम्बर, 2001 में समाप्त हो गई पंचायत राज्य अधिनियम अधिसूचित किया जाना है	गठित नहीं	रिपोर्ट की प्रतीक्षा	निधियां-12 कार्य-13 कार्यकर्ता -9	
संघ राज्य क्षेत्र					
29. अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	सितम्बर, 2000	हां	विचाराधीन	निधियां-6 कार्य-6 कार्यकर्ता -6	विलय हो गया और जिला परिषद के प्रधान अध्यक्ष हैं
30. चंडीगढ़	जीपी-जनवरी, 1999 जेडपी - जुलाई, 2000 पीएस-भी तक आयोजित नहीं	नहीं	रा.वि.आ. रिपोर्ट की प्रतीक्षा है	कोई सूचना उपलब्ध नहीं	लागू नहीं
31. दमन और दीव	सितम्बर, 2000	हां	विचाराधीन	निधियां-5 कार्य-9 कार्यकर्ता -3	विलय हो गया और जिला परिषद के प्रधान अध्यक्ष हैं
32. दादरा और नागर हवेली	अक्टूबर, 2000	हां	विचाराधीन	निधियां-0 कार्य-3 कार्यकर्ता -3	कोई डीआरडीए विद्यमान नहीं है

राज्य/संघ केडीआरडीए/ राज्य क्षेत्र	पंचायत चुनावों का आयोजन	गठन	डीपीसी का की सिफारिशों की स्थिति	राज्य वित्त आयोग संबंध में निधियों, जेडपी कार्यों और संयोजन कार्यकर्ताओं का की स्थिति अंतरण(243जी)	29 विषयों
1	2	3	4	5	6
33. दिल्ली	रा.रा.क्षे.दिल्ली ने पंचायती राज अधिनियम को रद्द कर दिया है और पंचायत राज संस्था(पीआरआई) पद्धति को समाप्त करने की मांग की है। तथापि अब यह 73वें संशोधन अधिनियम को अपनाने पर और पंचायतों को फिर से जीवित करने पर विचार कर रहा है।				
34. लक्षद्वीप	दिसम्बर 1997	हां जनवरी 1998	विचाराधीन	निधियां-0 कार्य-6 कार्यकर्ता -	कोई डीआरडीए विद्यमान नहीं है
35. पाण्डिचेरी	संघ क्षेत्र में चुनाव नहीं हुए हैं क्योंकि पाण्डिचेरी पंचायती राज अधिनियम में पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण से संबंधित प्रावधानों की वैधता से संबंधित मामला न्यायालय के अधीन है। चेन्नई उच्च न्यायालय का निर्णय प्राप्त हो गया था तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ने चेन्नई उच्च न्यायालय में स्पष्टीकरण संबंधी एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है। तमिलनाडु से संबंधित ऐसे ही एक मामले में माननीय उच्च न्यायालय, चेन्नई ने आदेश पारित किए थे जिससे चुनाव आयोजित करना तमिलनाडु सरकार के लिए संभव हो गया। ग्राम विकास मंत्रालय ने संघ राज्य क्षेत्र को इन्हीं आधार पर शीघ्र से शीघ्र चुनाव कराने के लिए उपयुक्त कार्रवाई करने के वास्ते संघ राज्य प्रशासन को सलाह दी थी।				

स्रोत : योजना आयोग